नगर परिषद, चित्तौडगढ

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/CHITTORGARH/FIRENOC/2023-24/27156

जारी दिनांकः 27-MAY-2024 वैधता दिनांकः 26-MAY-2025

प्रेषित–

आवेदक का नाम श्री/श्रीमतीः PRADEEP KUMAR SINGH

आवेदक का पताः NEW MAHENDRAPURAM COLONY RAIPUR CHHATISGARH

विषयः– अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन **BIRLA SHIKSHA KENDRA, 146 133, MADHAVNAGAR, CHANDERIA, CHITTORGARH, CHITTORGARH, RAJASTHAN** का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह **स्थाई** (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तेः–

1. उक्त प्रमाण पत्र एक्सपायरी दिनांक तक वैध होगा । उसके पश्चात नवीनीकरण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा किसी भी प्रकार के विलम्ब एंव कानुनी कार्यवाही के लिए अधिभोगी स्वंय जिम्मेदार होगा।
2. भवन/इकाई के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक प्रदार्थ व अति ज्वलनील प्रदार्थ नही रखा जावेगा।
3. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
4. निरिक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशो का पालन करना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार या परिषद द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबन्धक को मान्य होगा।
6. भवन का अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरिक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नही पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होगे व पम्प व पुरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होगे।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनियार्व होगा।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
10. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्डस को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
11. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
13. भूमि व भवन संबधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतू यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नही होगा एंव इस बाबत आवेदक स्वंय उत्तरदायी होगा।
14. उपरोक्त फायर एन.ओ.सी जारी दिनांक के बाद यदि आगजनी संबंधित कोई भी घटना घटित होती है तो संबंधित अधिभोगी पर नियमानुसार शास्ति लगाकर कार्यवाही की जावेगी।
15. आगजनी घटना के कारण यदि किसी भी तरह की मानवीय क्षति होती है तो अधिभोगी के विरूद्ध निर्धारित नियमानुसार कठोरतम कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

Signed by: Ravinder Singh
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: CHITTORGARH, Rajasthan
Date: 27/05/2024 10:45:42

अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, चित्तौडगढ